प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना, 2013 पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल है और इसमें अक्तूबर 2007 से दिसम्बर 2012 की अवधि कवर की गई है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वह हैं जिंन्हें 2015-16 की अवधि के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया था।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्‌वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग और इसके क्षेत्रीय संगठनों से प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है।